



S. N. Balasubramanian

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. GO/1/2013/STGUL/DEOTH/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक 18.01.2016

To,

1. The Collector,
District Gumla,
Jharkhand
2. The Superintendent of Police,
District Gumla,
Jharkhand

Sub: Representation of Shri Gondra Oraon, Village Sarna Toli, Ward no 20 Palkot Road, Distt. Gumla, Jharkhand regarding land issue.

Sir

I am directed to refer to this Commission's letter of even number dated 18.12.2015 on the subject and to enclose herewith a copy of the proceedings of the Sitting held in this Commission on 28.12.2015 for necessary action and to send the action taken report to the Commission urgently.

Yours faithfully,

N. O. _____
(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy for information to:

1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Ranchi, 14, New AG Co-operative Colony, Kadaru Ranchi (Jharkhand)-834002
2. Shri Gondra Oraon, Village Sarna Toli, Ward no. 20, Palkot Road, Distt. Gumla, Jharkhand.


National Commission for Scheduled Tribes

File No. GO/1/2013/STGUL/DEATH/RU-III

MINUTES OF THE SITTING HELD ON 28.12.2015 IN THE REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES, RANCHI ON THE PETITION OF SHRI GONDRA ORAON, GUMLA REGARDING LAND.

1. श्री गोन्दरा उराँव, पिता—स्व० मलहम उराँव, ग्राम—सरना टोली, पालकोट रोड गुमला द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई किया गया। खाता नं०-20, प्लॉट नं०-836 ए 837 कुल रकबा 1.37 डिसमील जमीन पर एगरोपार्क, गुमला का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुयी है। इस मामले में उपायुक्त, गुमला के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी श्री रवि शंकर, दण्डधिकारी द्वारा बताया कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण बिहार गजट सं०-10, 6 मार्च 1957 को अनुमण्डल कृषि बीज गुणन क्षेत्र गुमला के लिए किया गया है। श्री गोन्दरा उराँव के पूर्वज स्व० छोटा गन्दुर उराँव के जमीन अधिग्रहण के मुआवजा राशि का भुगतान संबंधी अभिलेख की खोज बीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, जिला लेखा पदाधिकारी एवं संयुक्त कृषि निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र कार्यालय राँची में कराई गई। परन्तु एतत् संबंधी अभिलेख की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

2. उपायुक्त गुमला को सलाह दी जाती है कि गुलजार प्रेस या अन्य संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर प्रतिवेदन आयोग को एक महीना में उपलब्ध कराया जाय। पुनश्च, बगल की जमीन जिस पर स्वामित्व गोन्दरा उराँव का है, पर प्रशासन का कोई हस्तक्षेप न हो। इस संबंध में उसे लिखित दिया जाय कि वह उक्त भूमि के उपयोग में स्वतंत्र है। यह इसलिए आवश्यक है कि पूर्व में किसी पदाधिकारी ने उन्हें लिखित निदेश दिया था कि वह उक्त भूमि का उपयोग न करें। की गई कारवाई से आयोग को सूचित किया जाए।


(डॉ. रामेश्वर उराँव)
अध्यक्ष

डॉ. रामेश्वर उराँव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi